

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी - अंकित कुमार सिंह, IAS

प्रकरण संख्या : 08/2022
रजिस्ट्रेशन नं. : 2022/9

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस
लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स,
शास्त्री सर्कल उदयपुर

अप्रार्थी/रेस्पोंडेंट्स:-

1. श्री अर्जुन लाल चरपोटा पुत्र श्री माना जी चरपोटा निवासी 24 सरेडी रोड, चौहान मोहल्ला, अखेराज का गडा, सुंदनी, तहसील गढी जिला बांसवाडा (ऋणी/बंधककर्ता)
2. श्रीमती मंजु देवी चरपोटा पत्नी श्री अर्जुन लाल चरपोटा निवासी 24 सरेडी रोड, चौहान मोहल्ला, अखेराज का गडा, सुंदनी, तहसील गढी जिला बांसवाडा (सहऋणी)
3. श्री हर्षित जैन पुत्र श्री शैलेन्द्र जैन निवासी जैन नोहरे के पास हिरावडी, लोहारिया, पालोदा, तहसील गढी जिला बांसवाडा (जमानती)

बनाम

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :- 21.03.2022

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर 1- श्री अर्जुन लाल चरपोटा पुत्र श्री माना जी चरपोटा निवासी 24 सरेडी रोड, चौहान मोहल्ला, अखेराज का गडा, सुंदनी, तहसील गढी जिला बांसवाडा (ऋणी/बंधककर्ता) 2- श्रीमती मंजु देवी चरपोटा पत्नी श्री अर्जुन लाल चरपोटा निवासी 24 सरेडी रोड, चौहान मोहल्ला, अखेराज का गडा, सुंदनी, तहसील गढी जिला बांसवाडा (सहऋणी) 3- श्री हर्षित जैन पुत्र श्री शैलेन्द्र जैन निवासी जैन नोहरे के पास हिरावडी, लोहारिया, पालोदा, तहसील गढी जिला बांसवाडा (जमानती) को दिनांक 27.10.2018 को राशि रुपया 3,00,000 (अक्षरे तीन लाख रुपया मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 03-03-2021 को अक्रिय बिल आरित में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 03-03-2021 तक कुल बकाया ऋण



कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

₹ (दो लाख सतहत्तर हजार चार सौ मात्र) एव तत्पश्चात् राशि मय ब्याज की वसूली के पूर्ण स्वयं जिम्मेदार है। सिक्योरिटी के रूप में अपनी अचल सम्पत्ति प्रार्थी के पास रहन की जिसका अर्जुन लाल चरपोटा पुत्र श्री माना जी चरपोटा की सम्पत्ति जो प्लॉट संख्या 1, संकल्प संख्या 1 दिनांक 05.05.2017, तहसील गढी, जिला बाँसवाड़ा पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसका माप लगभग 820 वर्ग फीट है, जिसके पूर्व में स्वयं का आंगन बाद आम रास्ता, पश्चिम में स्वयं की भूमि, उत्तर में श्री जगजी पिता मन जी का मकान, दक्षिण में 50 फीट स्वयं की भूमि है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

वित्त विभाग (Department of financial services) की अधिसूचना दिनांक 18 दिसम्बर 2015 के अनुसार प्रार्थी एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड को केन्द्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 2 की उपधारा(1) के खंड (ड) के उप-खंड (IV) के अन्तर्गत वित्तीय संस्था घोषित की है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 17-03-2021 को ऋणी अप्रार्थीगणों को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नहीं की व ऋण राशि जमा नहीं करवाई। प्रोपर्टी के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित लोन एग्रीमेन्ट है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 21.01.2022 को जारी किये गए। अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहे हैं। अतः दिनांक 21.03.2022 को अप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को




M. S.
क्लकटर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

नर्त का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गढी को निर्देशित किया जाता है कि वह स्वतन्त्र सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, न. लोहा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।




(अंकित कुमार सिंह)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)
बांसवाड़ा